नियमावली

- 1. सोसायटी का नाम DISHANJALI EDUCATION AND WELFARE SOCIETY होगा।
- 2. सोसायटी का कार्यालय (पूर्ण पता भवन क्रमांक सहित) 104 B EAST KAMLA NAGAR NARELA SHANKARI PIPLANI BHEL BHOPAL 462022 तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
- ^{3.} संस्था का कार्यक्षेत्र WHOLE MADHYA PRADESH होगा।

4 सोसायटी के उददेश्य निम्नलिखित होंगेः

- To assess the needs of the poor and socially underprivileged class to make them self-reliant and sustainable with an integrated approach.
- To promote environmental research program, ecosystem, natural resource management and water conservation program.
- Development of environment and global warming system for the utilization of solid waste management, monitoring and management of hazardous substance.
- Integrated program for the older person to assistance panchayati raj institution / Voluntary organization / self-help group for construction of old age homes and multi service centers.
- To promote scheme for promotion and development of voluntary blood donation program, special health scheme for rural areas, organizing eye camps including cataract surgery.
- To promote integrated program for street children, homes for children (shishu greh), child line servicer, juvenile justice work and national initiative for child protection.
- 7 To promote school AIDS education programmes, community care and supportive for people living with HIV-AIDS.
- 8 Undertaking health education and early detection activities in cancer.
- Nutrition education and training through community food and nutrition extension unit.
- 10 Integrated education for disable children.
- To promote community college, an alternative system of education for the drop outs youth for their livelihood programme
- 12 Strengthening community development program for the welfare of the tribal.
- 13 Strengthening of agriculture extension services and watershed program.
- ¹⁴ To establish, promote and assist for natural disaster management program.
- 15 Integrated rural development programme through government schemes.
- People development training programme for International Universities students, funding agencies and other NGOs

To enter into arrangements or arrangements with any government or authority whether central, state, district, municipal, local or otherwise that may seems to be

conductive to the objects of the society or to any of them to obtain from any government or authority such rights, grants, concession and privilege as the

society may think desirable and to comply with any such arrangements. To make research in education, health, environment, micro-enterprises and community development for the poor and underprivileged class. 19 To undertake competency based education and training programmes. To undertake integrated rural development programmes for strengthening the 20 community. To integrate women empowerment and child development through participatory 21 approach. To provide a wide spectrum of client driven services through various modes for community health, hygiene sanitation, life value and basic. education To promote social harmony and national integration for the society through social justice and the spirit of professionalism. 24 To promote integrated women and child health program for their development. To train social workers, volunteers, leaders and professionals in social sectors through education and training in various modes. To promote creativity, innovations, research and development in various areas of social development in rural and urban community. To empower and utilize indigenous knowledge scientifically and apply the latest inventions and techniques for community development. सदस्यता- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:-(**अ**) **संरक्षक सदस्यः**- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 6000 या अधिक एकम्**श्त** या एक साल में बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा। (**ब**) **आजीवन सदस्य**- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 3000 या अधिक देकर, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 3000 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है। (**स**) **साधारण सदस्य**- जो व्यक्ति रूपये 100 माह रुपये 1200 प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा व साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा. जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर प्नः सदस्य बनाया जा सकता है। सम्माननीय सदस्य- संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा। सदस्यता की प्राप्ति-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तृत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा। सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता

होना आवश्यक है:-

- 1.आय् 18 वर्ष से कम न हो।
- 2. भारतीय नागरिक हो।
- 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
- 4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो |
- 8. **सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:-
 - 1. मृत्यु हो जाने पर
 - 2. पागल हो जाने पर
 - 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर
 - 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर
 - 5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
- 9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-
 - 1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
 - 2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर।
 - 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
- 10. (अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।
 - (ब) प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।
 - (स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।
- ^{11.} साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-
 - (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
 - (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
 - (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की निय्क्त करना।
 - (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
 - (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
 - (छ) बजट का अनुमोदन करना।

- 12. प्रबंधकारिणी का गठन- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रिजस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
 - (1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -3
- 13. प्रबंध समिति का कार्यकाल- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

^{14.} प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
- (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तृत करना।
- (स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
 - (द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
 - (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।
 - (च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
- (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।
- 15. अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
- 16. उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव(मंत्री) के अधिकार-

- (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्त्त करना।
- (2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
- (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

- (4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 2000 व्यय करने का अधिकार होगा।
- 18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
- 19. कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
- ^{20.} **बैंक खाता** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ओफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 2000 रहेंगे।
- ^{21.} **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयों को परीक्षित लेखा भेजेगी।
- ²². **संशोधन** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
- 23. विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
- ^{24.} **सम्पत्ति** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
- ^{25.} **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।
- 26. विवाद- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमित से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रिजस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रिजस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रिजस्ट्रार को होगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष